Case No :- 71/2019
UCMS No :- 2019/00339

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/21	पत्रावली आज पेश हुई। बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/3/21 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली	
25/3/21	पत्रावली आज पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 31-3-21 को पेश हो।	

31.03.2021

पत्रावली आज पेश हुई।
अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित।
अधिवक्ता प्रार्थी से मोबाईल पर वार्ता की गई फिर भी उपस्थित नहीं हुए तथा प्रार्थी को आवाजे लगवाई गई उसके बावजूद भी कोई भी उपस्थित नही होने पर पत्रावली के बाद अवलोकन गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में विचाराधीन नामान्तरकरण अपील संख्या 03/2012 बअनवान भीखीबाई बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली वगैरा जो उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में इस न्यायालय के जरिये आदेश दिनांक 08.07.2013 प्रकरण संख्या 4/2013 शिवसिंह बनाम भिखीबाई की पालना में किया गया था उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में अपील संख्या 10/2013 बअनवान भीखी बाई बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली दर्ज हुआ एवं विचाराधीन है उसे पुनः उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में स्थानान्तरित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है अप्रार्थीगण की तलबी कर उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई।

पूर्व में जैर प्रार्थना पत्र अपील उपखण्ड अधिकारी बाली से न्याय नहीं मिलने के आक्षेप के साथ उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित कराई गई थी तथा अब उनका स्थानान्तरण हो जाने का उल्लेख करते हुए जैर प्रार्थना पत्र अपील को पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली को ही स्थानान्तरित कराना चाहते है अन्य कोई वजह प्रकरण स्थानान्तरण की नहीं बताई गई है। इस न्यायालय में प्रकरण 02.12.2019 को प्रस्तुत किया था तथा फरवरी 27.02.2020 को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से टिप्पणी एवं मूल अपील पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत भी बहस आदिनांक नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का विश्वास पत्रावली को बार बार स्थानान्तरित करवा कर निर्णय को लम्बित करने मे है। जबकि भीकी देवी ने पूर्व में भी एवं इस स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में भी लिखित में जवाब पेश कर प्रकरण का शिघ्र निस्तारण चाहा था तथा इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत जवाब में भी इसी इच्छा को व्यक्त किया है प्रार्थिया करीब 100 वर्ष की है तथा अपने जीवन काल में ही निस्तारण हेतु निवेदन किया हे वकील प्रार्थी को पूर्व में दो बार अन्तिम अवसर दिए जाने के उपरांत भी आज अनुपस्थित है इससे प्रकरण को [illegible] की मंशा स्पष्टतः परिलक्षित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:19 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र [illegible] निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त पत्रावली 10/2013 पुनः [illegible] निर्देशों के साथ लौटाई जाती है कि प्रकरण में शिघ्र सुनवाई की जा[illegible] निष्पक्ष एवं शिघ्र निर्णय पारित किया जावे।

A
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली